आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

13.05.16

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, अररिया

नामान्तरण पुनरीक्षण वाद सं0– 09/2014–15

प्रदीप कुमार राय, पिता–स्व0 भुवनेश्वरी प्र0 राय, सा0–कुआड़ी, थाना–कुर्साकांटा, जिला–अररिया – पुनरीक्षणकर्त्ता

बनाम

हलेश्वर राम, पिता–घुरन राम, सा0–खुटहरा, थाना–सिकटी, जिला–अररिया एवं अन्य – उत्तरवादी

आदेश

प्रस्तुत वाद आवेदक प्रदीप कुमार राय, पिता–स्व0 भुवनेश्वरी प्रसाद राय, ग्राम–कुआड़ी, थाना–कुर्साकांटा, जिला–अररिया द्वारा नामान्तरण अपील वाद वाद सं0 187/12 / 99/2013–14 में दिनांक 19.09.2013 को विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया के पारित आदेश के विरूद्ध दिनांक 11.07.2014 को समाहर्त्ता, अररिया के न्यायालय में दाखिल किया गया। जिसे समाहर्त्ता, अररिया द्वारा दिनांक 11.07.2014 को विचारार्थ स्वीकृत करते हुए विधिवत निष्पादन हेतु दिनांक 11.09.2015 को इस न्यायालय को हस्तांतरित किया गया।

वादग्रस्त भूमि का विवरण

मौजा	खाता	खेसरा	रकबा
खुटहरा अंचल–सिकटी	237	170	31 डी0

द्वितीय पक्ष की ओर से प्रतिउत्तर दाखिल होने के पश्चात् उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुना गया।

पुनरीक्षणकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि वादग्रस्त भूमि का खतियान हरि राय, पिता–कन्हाय राय के नाम से दर्ज था और हरि राय निःसंतान अपने बड़े भाई भुटकन राय को छोड़कर मृत हुए। इस प्रकार भुटकन राय, हरि राय के उत्तराधिकारी हुए और वादग्रस्त भूमि उन्हें प्राप्त हुई। जिसपर वे दखल काबिज हुए। भुटकन राय के मृत्यु के पश्चात् उनके दो पुत्र पूर्जन राय एवं भरत राय उनके सम्पत्ति के उत्तराधिकारी हुए और इन दोनों पुत्रों से बजरिये निबंधित दस्तावेज सं0 12541, दिनांक 11.08.1975 द्वारा वादग्रस्त भूमि हरिहर प्रसाद राय द्वारा खरीद कर अपने नाम से जमाबंदी कायम कराकर दखलकार हुए। चकबंदी सर्वे के दौरान उक्त जमीन का चकबंदी खतियान के अन्तर्गत चक खाता सं0 201 एवं खेसरा सं0 322 हरिहर प्रसाद राय के नाम से दर्ज हुआ।

इनका यह भी कहना है कि हरिहर प्रसाद राय ने अपने जीवन काल में वर्ष 2003 में वादग्रस्त भूमि का वसियतनामा अपने भतीजा प्रदीप कुमार राय (पुनरीक्षणकर्त्ता) के पक्ष कर दिया और हरिहर प्रसाद राय के मृत्यु के पश्चात् प्रदीप कुमार राय द्वारा जिला जज, पूर्णियाँ के न्यायालय में L.A. (लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन) वाद सं0